REGD, NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



HRE Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622] No. 622] नई दिल्ली, मंगुलवार, मई 6, 2008/वैशाख 16, 1930 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2008/VAISAKHA 16, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

ं (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2008

का.आ. 1100(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :----

क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
(1)	(2)	(3)
"17	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44क, सं. 54 [40.00 कि.मी. से 175.00 कि.मी. तक छोड़कर (मिजोरम/असम सीमा (लैलापुर)से आईजॉल)] सं. 54क, सं. 54ख, सं. 150 और सं. 154 मिजोरम राज्य के भीतर स्थित है।	मिजोराम राज्य सरकार ।''

[फा. सं. एनएच-14013/8/2006-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

1663 GI/2008

पाद टिप्पण :---मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित को गई और अंतिम संशोधन का.आ. 248(अ), तारीख 25 फरवरी, 2008 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways) NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2008

S.O. 1100(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

SI.	Description of National	Name of the State	
No.	Highway	Government	
"17	So much of National Highways No. 44A, No. 54	State Government of Mizoram."	
	[excluding from Km. 40.00 to 175.00 Km. (Mizoram/Assam Border (Lailapur) to Aizawal)],	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	No. 54A, No. 54B, No. 150 and No. 154 as are situated within the State of Mizoram.	e	

[F. No. NH/14013//8/2006-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

Foot Note :---The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 248(E), dated the 5th February, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2008

का.आ. 1101(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 815(अ), तारीख 25 मई, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में,----

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 54 की प्रविष्टि और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :----

(1)	(2)	(3)	
"54	मिजोरम/असम सीमा (लैलापुर) से	135''	
	आईजॉल) (असम राज्य में)	• •	

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 54क और 54ख तथा उससे संबंधित स्तंभ (1), (2) और (3) की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

> [फा. सं. एनएच-14013/8/2006-पी एंड एम] प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पण :----मूल अधिसूचना, भारत सरकार के राजपत्र, में सं. का.आ. 815(अ) तारीख 25 मई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2008

S.O. 1101(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 815(E), dated the 25th May, 2007, namely :—

In the Table to the said notification,-

(a) for the entry in respect of National Highway No. 54 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :---

1	2.	3.	
"54	Mizoram/Assam Border	135"	
	(Lailapur)-Aizwal (in the	155	
	State of Mizoram)		

(b) the entries in respect of National Highways No. 54A and 54B and the entries relating thereto in columns (1), (2) and (3) shall be omitted.

[F. No. NH/14013//8/2006-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note :—The principal notification was published in the Gazette of India *vide* Number S.O. 815(E), dated the 25th May, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.